संख्या-505/2018/4134/22-2-2017-17(97)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 15 जून, 2018**

विषयः- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी जनपद-शाहजहांपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45968/प्रोबे0अनु0(2)-189/सला0समिति/ (एम 21-12-2017) दिनांक 29-12-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बाबू सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह निवासी कमालपुर, थाना-बण्डा, जनपद-शाहजहांपुर का रहने वाला है। बन्दी ने दिनांक 29-09-1977 को गांव की चौपाल पर दोपहर लगभग 03.00 बजे अभियुक्त बाबू सिंह ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण दफेदार सिंह एवं अन्य व्यक्तियों के साथ झगड़ा किया जिसमें दफेदार नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-379/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 307/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 24-03-1979 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 05-09-1991 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.11.2017 तक 25 वर्ष 04 माह 20 दिन की अपरिहार तथा 33 वर्ष 08 माह 00 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दिनांक 24.11.2017 तक बन्दी की आयु 60 वर्ष 08 माह है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। क्रिमि0 रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-12-2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 प्रभारी अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-7, शाहजहांपुर द्वारा कारागार को उपलब्ध कराये गये अभिमत में कहा गया है कि मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था में दिये गये निष्कर्षो को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी बाबूसिंह की समयपूर्व रिहाई किया जाना सुसंगत तथ्य प्रतीत नहीं होता है।

सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है परन्तु सक्षम स्तर द्वारा प्रकरण पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है एवं सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा माननीय सत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

न्यायाधीश द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित न होने के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बाबू सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी बाबू सिंह (बन्दी संख्या-47490) पुत्र श्री गंगा सिंह, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-505/2018/4134(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।